राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः–स.3(16)(11)विविध / अभि. / 14–01522 / 1439 दिनांकः–24/6/2024

परिपत्र

प्रायः देखने में आया है कि अभियोजन विभाग में पदस्थापित अभियोजन अधिकारी एवं सहायक अभियोजन अधिकारियों द्वारा सीधे ही जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, न्याय प्रशासन व इसी प्रकार के उच्चस्थ स्तर के अधिकारियों से बिना उचित माध्यम के पत्र व्यवहार किया जा रहा है, जो निदेशालय स्तर से पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 15.02.77 एवं दिनांक 09.10.2003 का स्पष्ट उल्लघंन है।

अतः उक्त परिपत्रों की निरन्तरता में विभाग में पदस्थापित अभियोजन अधिकारी व सहायक अभियोजन अधिकारी सीधे ही जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, न्याय प्रशासन व इसी प्रकार के उच्चस्थ स्तर के अधिकारियों से पत्र व्यवहार न करकें सम्बन्धित उच्च अधिकारियों के माध्यम से ही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। सम्बन्धित अभियोजन अधिकारी / सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त परिपत्र की पालना नही किय जाने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

उक्त परिपत्र की कड़ाई से पालना की जावें।

(रवि शर्मा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1.निजी सचिव, निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
2.अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय) / (अभि.)।
3.संयुक्त निदेशक अभियोजन(सतर्कता)।
4.उप निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)।
5.समस्त संयुक्त निदेशक अभियोजन।
6.समस्त उप निदेशक अभियोजन।
7.समस्त अभियोजन अधिकारी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा सम्बन्धित उप निदेशक अभियोजन।
8. सूचना सहायक, उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

Address: Room No: 7226, 2nd Floor, Food Building, Secretariat, Jaipur, Pincode: 302005
Phone & Fax: 0141-2227806 Mail ID: Prosecution@Rajasthan.gov.in

RajKaj Ref
8130449

Document certified by RAVI SHARMA <sharma.ravirhjs@gmail.com>.

Digitally Signed by RAVI SHARMA
Designation :Director
Date :21-06-2024 06:04:27